न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 304 / 2016

1 हीरालाल आयु 60 साल पुत्र स्व. रामदेवा जाति सुनार पेशा खेती निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनूं दिनांक 27.10.2015 बमुकदमा उनवानी हीरालाल बनाम राज. सरकार प्रार्थना पत्र बाबत नियमन मु.नं. 01 / 2015

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः—22·1·25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2015 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सोनासर की सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 354 में से पूर्वी 6 बीघा अर्थात जमीन हाल खसरा नम्बर 1416 रकबा 0.30 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 1425 रकबा 2.10 हैक्टेयर में से पूर्वी 1.22 हैक्टेयर है। इस जमीन के पूर्व में जमीन गत खसरा नम्बर 377 रकबा 4 बीघा 14 विश्वा वाके ग्राम सोनासर है। जमीन गत खसरा नम्बर 354 में से 6 बीघा जमीन के बाबत अपीलान्ट के पिता रामदेवा ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं में दावा उनवानी रामदेवा बनाम राज. सरकार दावा संख्या 32/1993 किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.12.1993 व डिक्री दिनांक 06.01.1994 से दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 10.12.1993 व डिक्री दिनांक 06.01.1994 को अपास्त करवाने के लिए अपीलान्ट के पिता रामदेवा ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं में अपील उनवानी रामदेवा बनाम राज. सरकार अपील संख्या 21/1994 पेश की गयी। दिनांक 30.09.1995 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं का निर्णय दिनांक 10.12.1993 निरस्त कर अध्यक्ष भू—आवंटन परामर्श दात्री समिति एवं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को निर्देश दिया कि तीन माह के अन्दर जमीन खसरा नम्बर 354 में से 6 बीघा जमीन अपीलान्ट के नाम नियमन कर आवंटित करें। राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 30.09.1995 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं भू—आवंटन समिति ने माननीय न्यायालय के निर्देश की पालना नहीं की। इसके बाद उक्त निर्णय दिनांक 30.09.1995 की पालना के लिये अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड मलसीसर को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसको न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

27.10.2015 से खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के पिता का देहान्त हो गया। अपीलान्ट मुख्य धन्धा कृषि है व भूमिहीन की श्रेणी में है। विवादित जमीन ठिकाना के समय में तत्कालीन ठिकाना ग्यागियासर के तहत की जमीन है। तत्कालीन ठिकाना गाग्यांसर उर्फ ग्यागियासर से अपीलान्ट के पिता रामदेवा ने विवादित जमीन को बतौर टीनेन्ट काश्त हेतु ली थी और लगान तत्कालीन ठिकाना को लगातार काश्त की एवज में अदा किया। लगान की रसीदे उक्त दावे में पेश की गयी। इस प्रकार राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत विवादित जमीन की अपीलान्ट के पिता को खातेदारी मिली। राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक 15.06.1961 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि झुन्झुनूं जिले के पंच पाना सरदारों की ओर से कृषि परियोजनार्थ दी गयी जमीन को उसकी कृषि परियोजनार्थ मानकर लगान कायम किया जावें। इस परिपत्र की पालना की जानी थी जो नहीं की गयी। मिसल हकियत संवत 1999 में जमीन गत खसरा नम्बर 354 की किश्म बजंड़ जोहड़ अंकित है व कॉलम नम्बर सात में मकबुजा ठिकाना दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2020 तक में गत खसरा नम्बर 354 बंजड़ जोहड़ दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2029 से 2032 में बाजरा, मोठ, ग्वार की काश्त विवादित जमीन में दर्ज हे। इसी प्रकार के इन्द्राजात खसरा गिरदावरी संवत 2034–2036 में है। खसरा गिरदवारी संवत 2025 से 2028 में विवादित जमीन में काश्त होना दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2046 से 2049 में भी विवादित जमीन काश्त होना दर्ज है। इस प्रकार किश्म जमीन बजड़ जोहड़ से बिना किसी उचित आधार के चारागाह भूमि दर्ज की गयी जो इन्द्राजात शुन्य है। न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील मलसीसर ने दिनांक 10.04.1991 को निर्णय पारित किया जिसमें विवादित जमीन अपीलान्ट के पिता की कब्जे काश्त की राज. काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पहले की होना मानकर नियमन करवाने का अधिकारी होना माना। दावा संख्या 32/1993 में नायब तहसीलदार मलसीसर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जिसके विवादित जमीन को पुराने कब्जे के आधार पर नियमन होना माना। माननीय न्यायालय ने प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी जिसमें करीब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

70 वर्ष से विवादित जमीन कब्जे काश्त की होना माना गया। रेस्पोडेन्ट ने जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें विवादित जमीन 70 साल से कब्जे काश्त की अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट की होना माना। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में विवादित जमीन 70 साल से काश्त के काम में आ रही है व सार्वजनिक उपयोग की कभी भी नहीं रही। अपीलान्ट के पिता का विवादित जमीन पर कब्जा काश्त रहा व लगान अदा किया अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का कब्जा काश्त है व अपीलान्ट विवादित जमीन का नियमन करवाने का अधिकारी है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के निर्णय दिनांक 27.10.2015 को निरस्त किया जाकर विवादित जमीन हाल खसरा नम्बर 1416 रकबा 0.30 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 1425 रकबा 2.10 हैक्टेयर में से पूर्वी 1.22 हैक्टेयर कुल रकबा 1.52 हैक्टेर वाके ग्राम सोनासर का नियमन अपीलान्ट के हक में किया जावे अथवा नियमानुसार नियमन कर नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिया जावें। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। चारागाह भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार न तो आवंटन किया जा सकता है न ही नियमन किया जा सकता है। ऐसी भूमियां धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से दावा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। चारागाह भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार न तो आवंटन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया जा सकता है न ही नियमन किया जा सकता है। ऐसी भूमियां धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से दावा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इमसें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)